

भाग-2
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

<p>7. परियोजना / स्कीम का नाम</p> <p>(i)राज्य/संघ शासित प्रदेश</p> <p>(ii) जिला</p> <p>(iii) वन प्रभाग</p> <p>(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि</p> <p>(v) वन की कानूनी स्थिति</p> <p>(vi) हरियाली का घनत्व प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना</p> <p>(vii) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी</p> <p>(viii) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव, अभ्यारण जीवमंडल आदि का भाग है। (यदि हो तो क्षेत्र का ब्यौरा तथा मुख्य वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)</p> <p>(ix) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणि जाति की दुर्लभ /संकटापन/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हों तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।</p> <p>(x) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्विक /पारम्परिक स्थल /रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हों तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो तो दें।</p>	<p>जनपद अम्बेडकरनगर में राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या-5 (अकबरपुर-शाहगंज-जौनपुर रोड) के किमी0 154.30 से किमी0 192.00 एवं राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या -30 (अकबरपुर-फैजाबाद रोड) के किमी0 174.00 से किमी0 171.50 तक कुल किमी0 40. 20 एवं 0.4239 हे0 वन भूमि में भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने की अनुमति के सम्बन्ध में।</p> <p>उत्तर प्रदेश</p> <p>अम्बेडकरनगर</p> <p>अम्बेडकरनगर</p> <p>0.4239 हे0</p> <p>संरक्षित वन भूमि</p> <p>0.5</p> <p>ये भू-भाग भू- क्षरण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है।</p> <p>नहीं</p> <p>नहीं</p> <p>नहीं</p>
<p>8-प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जाचें गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।</p>	<p>न्यूनतम है।</p>
<p>9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। यदि हों तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहें हैं।</p>	<p>अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया।</p>

<p>10-प्रतिपूरक वनीकरण के स्कीम का ब्यौरा</p> <p>(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनाधिकृत वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार</p> <p>(ii) क्षतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप</p> <p>(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी के समय अनुसूचित लागत ढांचा आदि।</p> <p>(iv) प्रतिपूरक वनीकरण के स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।</p> <p>(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टि कोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाय।</p>	<p>सचिव उ०प्र० शासन के आदेश संख्या 3544/14-2-2008 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2008 के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा के अन्तर्गत 20 किमी० क्षेत्र में वृक्षारोपण करने हेतु वांछित धनराशि प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है। सम्बन्धित अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न है।</p> <p>लागू नहीं है।</p> <p>लागू नहीं है।</p> <p>लागू नहीं है।</p> <p>लागू नहीं है।</p>
<p>11-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)</p>	<p>संलग्न है।</p>
<p>12-विभाग /जिला प्रोफाइल</p> <p>(प) जिले का भौगोलिक क्षेत्र</p> <p>(पप)जिले का वन क्षेत्र</p> <p>(पपप) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र</p>	<p>2520 वर्ग किमी०</p> <p>धारा-4 में घोषित कुल 269.78 हे०</p> <p>कुल 8 मामले एवं कुल संरक्षित वन भूमि 30.5466 हे०</p>
<p>(पअ) 1980 से जिला /प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण</p> <p>(क)दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित</p> <p>(ख) वनेत्तर भूमि पर</p>	<p>17.118 हे०</p> <p>रिक्त</p> <p>रिक्त</p>
<p>13-प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की सिफारिस</p>	<p>जनपद अम्बेडकरनगर में राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या-5 (अकबरपुर-शाहगंज-जौनपुर रोड) के किमी० 154.30 से किमी० 192.00 एवं राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या -30 (अकबरपुर-फैजाबाद रोड) के किमी० 174.00 से किमी० 171.50 तक कुल किमी० 40.20 एवं 0.4239 हे० वन भूमि में भूमिगत आर्टिकल फाइबर केबिल बिछाने की अनुमति के सम्बन्ध में संस्तुति की जाती है।</p>

तिथि- 24-01-2017

स्थान-अकबरपुर अम्बेडकरनगर

(ए०के०शुक्ला)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन प्रभाग अम्बेडकरनगर